

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 104] No. 104] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2009/आषाढ़ 19, 1931 DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2009/ASADHA 19, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 90 [N.C.T.D. No. 90

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2009

संख्या फा. 06/17/2008-न्याय/अधीक्षक न्याय/1264 -1269.—अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्निलिखित 05 अध्यर्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किए जाने पर अपने-अपने कार्यालयों में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षों की अविध के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम
	(श्री/श्रीमती)
1.	सुशील अनुज त्यागी
2.	राकेश कुमार सिंह
3.	पंकज अरोरा
4.	धर्मेन्द्र सिंह
5.	अमनजीत सिंह

2. ये नियुक्तियां पूर्णतया अस्थायी आधारा पर हैं तथा अभ्यर्थियों के चरित्र पूर्ववृत्तों के सत्यापन तथा जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो, 2542 DG/2009 के अनुसार होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

- 3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/ निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी।
- 4. दिल्ली न्यायिक सेवा में तथा अपयुक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान वही रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें दी गई है।
- 5. पद 9000-14500 रुपये (पूर्व संशोधित)+ सामान्य भत्ते जैसा समय-समय पर इस संबंध में लागू हो, के अनुसार है ।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 10th July, 2009

No. F.6/17/2008-Judl./supt law/1264-1269.—In pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial

प्रत्मापत न्यान नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिवृल लाईन्स, दिल्ली-54 Service Rules, 1970 as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint the following 05 candidates as members of the Delhi Judicial Service on probation for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices on being posted by the Delhi High Court, New Delhi:

S. No.	Name of the candidate (Mr./Ms.)
1.	Sushil Anuj Tyagi
2.	Rakesh Kumar Singh
3.	Pankaj Arora
4.	Dharmender Singh
5.	Amanjit Singh

- 2. These appointments are on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the candidates from the concerned authorities and verification of their caste certificate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
- 3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Judicial Service from time to time.
- 4. The inter-se seniority of the above named candidates in the Delhi Judicial Service vis-a-vis other selected candidates will remain the same as assigned to them in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.
- 5. The post carries the scale of pay of Rs. 9,000-14,500 (pre-revised) plus usual allowances as may be applicable in this behalf from time to time.

सं. फा. 14(12)/एल.ए.-2009/एलजे/09/एलसीलॉ/ 173-182.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 जुलाई, 2009 को मिली अनुमित के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

(2009 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2009 को यथा पारित)

(8 जुलाई, 2009)

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के पुनर्गठन के लिये तथा अध्ययन शोध, प्रौद्योगिकी उत्पाद में नवीनता/परिर्वतन तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन शिक्षा में विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक असम्बद्धत, शिक्षण और शोध विश्वविद्यालय के रूप में इसे समाविष्ट करने के लिये और उच्चतर तकनीकी शिक्षा और इसके सम्बद्ध या इसके प्रासंगिक अन्य विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम।

जबिक दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की एक संस्था है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है;

और जबिक उक्त संस्था को एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना समयोचित है तािक यह ज्ञान तथा शिक्षण में उन्नित तथा प्रसार को बढ़ावा देने के लिये शिक्षण तथा अध्ययन पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं में एक अध्ययन और शोध केन्द्र के रूप में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ हो सके और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, प्रबन्ध विज्ञान, उद्योग के लिये प्रासंगिक शोध एवं अन्वेशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा शोध की मांग पूरी करने के लिये और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिये बेहतर संभावनाए और अवसर प्राप्त हो सके।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—
 - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 है।
 - (2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तारीख से लागू होगा।
- 2. परिभाषाएँ.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :—
 - (क) "शैक्षणिक परिषद्" का अर्थ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् से है;
 - (ख) "शैक्षणिक स्टाफ" का अर्थ स्टाफ का ऐसा वर्ग जो कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ होने के लिए संविधि द्वारा निर्दिष्ट हो;
 - (ग) "प्रबंधन बोर्ड" का अर्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन बार्ड से है;
 - (घ) "कैम्पस" का अर्थ निदेश, अनुसंधान या दोनों के लिए व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;
 - (ङ) "कुलाधिपति" "कुलपति" तथा "सम-कुलपति" का अर्थ क्रमश: विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा सम-कुलपति से है;
 - (च) "कॉलेज" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या व्यवस्थित संस्था से है;
 - (छ) "परिषद्" का अर्थ विश्वविद्यालय की परिषद से है;
 - (ज) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;
 - (झ) "विभाग" का अर्थ विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग से है;

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (ञ) "कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है;
- (ट) "वित्त समिति" का अर्थ विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
- (ठ) "सरकार" का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथापदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;
- (ड) "हॉल" का अर्थ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहने या कॉरपोरेट लाइफ की इकाई से है;
- (ढ) "कदाचार" का अर्थ संविधि द्वारा निर्धारित कदाचार से है;
- (ण) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
- (त) "योजना बोर्ड" का अर्थ विश्वविद्यालय का शैक्षणिक योजना बोर्ड से है;
- (थ) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई/बनाये गये संविधियां या अध्यादेश या विनियमों से है;
- (द) "कुलसचिव" का अर्थ विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;
- (ध) "स्कूल" का अर्थ विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यापीठ (स्कूल) से है;
- (न) "संविधि" "अध्यादेश" तथा विनियम का अर्थ तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय का क्रमशः संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;
- (प) "विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत
 यथानिगमित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तथा
- (फ) "विश्वविद्यालय शिक्षक" का अर्थ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्थान में निदेश देने या अनुसंधान हेतु नियुक्त किया गया हो तथा संविधियों द्वारा पदनामित किया गया हो।

3. विश्वविद्यालय का सम्मिलन.—

(1) सरकार द्वारा यथानिर्धारित तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, परिषद् के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड तथा शैक्षणिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय की वित्त समिति तथा ऐसे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जो यहां बाद में ऐसे कार्यालय या ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जा सकते है जब तक वे ऐसे कार्यालय या सदस्यता में बने रहेंगे।

- (2) विश्वविद्यालय का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सामान्य मुहर जो कि संपति तथा संविदा प्राप्त करने, धारण करने एवं निपटान हेतु तथा उक्त नाम द्वारा मुकद्दमा चलाने या चलवाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।
- (3) विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने अन्तर विषय शिक्षा तथा अन्वेशन को बढ़ावा देगा।
- 4. विश्वविद्यालय के समावेशन का प्रभाव.—इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर तथा से—
 - (क) किसी विधि में (इस अधिनियम से भिन्न) या किसी संविदा में या अन्य प्रलेख में दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज सम्बन्धी किसी उल्लेख/संदर्भ को विश्वविद्यालय के संन्दर्भ के रूप में मान लिया जायेगा;
 - (ख) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज की या सम्बन्धित सारी सम्पति, चल तथा अचल विश्वविद्यालय में निहित होगी;
 - (ग) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के सभी अधिकार एवं देयताएं विश्वविद्यालय को अन्तरित की जाएगी और विश्वविद्यालय के अधिकार तथा देयताएं होंगे/होगी;
 - (घ) दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज द्वारा नियुक्त प्रत्येक ब्यक्ति ऐसे प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में अपने पद या सेवा पर उतने कार्यकाल तक उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शतों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों सम्बन्धी वही अधिकारीं एवं विशेषाधिकारों पर बने रहेंगे जैसािक उसके पास है यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता था और तब तक ऐसा करने के लिये बने रहेंगे और जब तक उसका रोजगार समाप्त नहीं हो जाता है या उसने रोजगार संबंधी विश्वविद्यालय की शर्तों को चुन लिया है;
 - (ङ) इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व जिन वर्तमान विद्यार्थियों ने दिल्ली इंजीरियरिंग कालेज की कक्षाओं में भाग लिया वे अपने नामांकन के अन्तर्गत अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा अध्ययन कार्यक्रम जारी रखेंगे तथा उनका संबंधन दिल्ली विश्वविद्यालय से रहेगा, जो उनके लिये परीक्षाएं आयोजित करके जिन अध्ययन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों में इस समय व अध्ययन कर रहें हैं उन्हें सफलता पूर्वक पूरा करने पर उन्हें उपाधियां प्रदान करेगा।

5. अधिकार क्षेत्र.—

इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा उपबंधित अन्यथा को छोड़कर उन क्षेत्रों की सीमाएँ जिनमें विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की होगी।

म्हायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

6. विश्वविद्यालय का उद्देश्य.---

- (क) समस्त स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दूरस्थ एवं अनुवर्ती उच्च शिक्षा अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक शिक्षा को विकसित करना एवं प्रदान करना ;
- (ख) उपाधियां, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अध्ययन को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना ;
- (ग) बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी,
 प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए अद्यतन अध्ययन
 आयोजित करना तथा अन्वेशन को बढ़ावा देना;
- (घ) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन तथा सहायक क्षेत्र तथा इससे सम्बन्धित या इसके प्रासंगिक विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ;
- (ङ) एक परिवर्तनकारी संस्था होना जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्ट उत्पादों एवं सेवाओं के विकास के लिये उद्योग से संबंधित क्षेत्रों को समर्थ बनाने के लिये योगदान करेगी;
- (च) उद्योगों के लिये प्रासंगिक तथा भारत एवं विश्व के शैक्षिक समुदाय पर प्रभावी होगी;
- (छ) विश्व के सर्वोत्तम मेधावी विद्धानों को आकर्षित करने के लिये खुली संस्था होगी तथा विश्व के साथ पूर्णत: समाहित होगी;
- (ज) तकनीकी आधारित उद्यमों, नूतन एवं नये उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिये अन्वेशन संस्थानों/ प्रतिष्ठानों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी पार्कों, ज्ञान पार्कों और तकनीकी पर आधारित उद्यमिता के विकास के लिये व्यवस्था करना;
- (झ) व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं एवं सम्मेलन आयोजित करके राष्ट्रीय विकास में ज्ञान तथा पद्धति एवं उनकी भूमिका का प्रचार-प्रसार करना ;
- (ञ) व्यवसायिक नैतिकता, शोध सत्यिनष्ठता/व्यवसायियों के लिये विश्वभर में स्वीकार्य व्यवसाय नीति एवं नैतिकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सांस्कृतिक एवं नीतिपरक मूल्यों को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना ;
- (ट) भारत तथा विदेशों में उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान के संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करना:
- (ठ) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान से संबंधित सभी विषयों पर आविधक पत्रिकाएं, शोध प्रबंध, अध्ययन, पुस्तकों, रिपोर्ट, पत्रिकाएं एवं अन्य साहित्य प्रकाशित करना;
- (ड) परीक्षा आयोजित करना तथा डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक विशेषताएं प्रदान करना;
- (ढ) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीरियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान से संबंधित अध्ययन तथा प्रशिक्षण परियोजनाएं आयोजित करना;

 (ण) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या प्रेरक हो ।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां.--

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् :---

- (1) शिक्षण की समस्त विधाओं में निदेश हेतु व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे तथा अनुसंधान एवं ज्ञान एवं कौशल के विस्तार एवं अद्यतन हेतु तथा अन्वेशन हेतु प्रावधान करना;
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना तथा परीक्षा, मूल्यांकन या जाँच की अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्री तथा अन्य शैक्षणिक विशेषताएं प्रदान करना;
- (3) मानद डिग्री या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;
- (4) अतिरिक्त मूअरल अध्ययन तथा विस्तार सेवाओं का प्रारंभ एवं आयोजन;
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा यथापेक्षित प्रोफेसरशिप, सम्बद्ध प्रोफेसरशिप, सहायक प्रोफेसरशिप एवं अन्य शिक्षण एवं अकादिमक पदों का सृजन करना तथा स्थापित करना और ऐसे अन्य अकादिमक तथा शोध पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (6) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में व्यक्तियों तथा अन्य को मान्यता प्रदान करना;
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षणिक या प्रशासनिक स्टाफ के अन्य सदस्यों एवं शिक्षकों की सेवा शर्ते उपलब्ध कराना;
- (8) विनिर्दिष्ट अविध के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;
- (9) विश्वविद्यालय में प्रशासिनक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सूजन करना तथा नियुक्त करना;
- (10) विदेशी विश्वविद्यालय के मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित उद्देश्य तथा पद्धित से किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या उच्च शिक्षण संस्था के साथ सहयोग, सहभागिता, सहकारिता करना;
- (11) शिक्षा देने, शोध का पयर्वेक्षण करने या दोनों के लिये विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों का अन्य संस्था में कार्यरत व्यक्तियों का सहयोग, सहायता या सम्बद्ध प्राप्त करने में समर्थ बनाना;
- (12) शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए शैक्षणिक निकाय बनाना तथा निर्धारित पद्धति से अन्हें पारिश्रमिक देना;

राट्याप्त ग्र-जी-क्रि सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिवित लाईन्स, दिल्ली-54

- (13) कालेजों, परिसरों एवं शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण एवं विस्तार के ऐसे अन्य केन्द्रों की स्थापना एवं रखरखाव करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझा गया है;
- (14) कम्प्यूटर केन्द्र, प्रलेखन केन्द्र, केन्द्रीय कर्मशाला, केन्द्रीय पुस्तकालय, सभागार इत्यादि जैसी केन्द्रीयकृत सुविधाओं की स्थापना करना;
- (15) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास कक्षों की स्थापना करना;
- (16) अनुसंधान एवं सलाहकारी सेवाओं के लिए व्यवस्था करना तथा उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक रूप में अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ प्रबंधों का करार करना;
- (17) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मापदंड सुनिश्चित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या चुनाव की अन्य कोई पद्धति सम्मिलित है;
- (18) पुरस्कार, फैलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टुडेंटशिप, मैडल्स एवं पुरस्कार प्रारंभ करना तथा प्रदान करना;
- (19) शुल्कों एवं अन्य प्रभारों को निर्धारित करना; मांग करना एवं भुगतान प्राप्त करना;
- (20) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास का पर्यवेक्षण तथा उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बढ़ाने की व्यवस्था करना;
- (21) महिला छात्राओं के संबंध में ऐसे विशेष प्रबंध करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (22) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण को विनियमित करना;
- (23) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;
- (24) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के बीच अनुशासन विनियमित करना तथा प्रवर्तित करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा आवश्यक समझा जाए;
- (25) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में वृद्धि करने के उपायों की व्यवस्था करना;
- (26) व्यक्तियों से उपकर, दान एवं उपहार प्राप्त करना तथा उन्हें ऐसी पदवी देना, संस्था एवं भवनों के नाम रखना जैसा विश्वविद्यालय निर्धारित करना चाहे, जिसका उपहार या दान विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्णित राशि के योग्य हो;
- (27) विश्वविद्यालय के लिये निकाय निधि की सृजन करना और एलुमनी, उद्योगों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तरर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों से प्राप्त दान को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित पूर्णत: या अंशत: अतरण करना जैसा एवं ऐसी निकाय निधि के सदुपयोग के लिये तौर तरीके निर्णित करना;

2542 DG/09-2

- (28) विश्वविद्यालय के उद्देश्य हेतु न्याय एवं धर्मदाय संपत्तियों सिहत चल या अचल संपत्ति प्राप्त करना, बनाए रखना, प्रबंध करना तथा उसका निपटान करना, जो कि सरकार की सहायता से निर्मित भवन/अर्जित भूमि के अतिरिक्त है, जिन मामलों में सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा;
- (29) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए धनराशि उधार लेना;
- (30) विषयों के संदर्भ में, विशिष्ट क्षेत्रों में, शिक्षा-स्तर एवं तकनीकी मानव शक्ति के प्रशिक्षण में लघु एवं दीर्घकालिक दोनों आधारों पर आवश्यकताएं निर्धारित करना तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम प्रारंभ करना;
- (31) अनुपूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों की सहभागिता एवं अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों को तैयार करने के उपाय प्रारंभ करना;
- (32) "दूरस्थ शिक्षा" "खुला दृष्टिकोण" के माध्यम से विद्यार्थियों की अनौपचारिक (मुक्त शिक्षण) धारा से औपचारिक धारा में जोड़ने तथा विलोमत के लिए निदेश उपलब्ध कराना;
- (33) अपने कर्मचारियों के लिये नीति संहिता, आचरण संहिता एवं अनुशासनिक नियम तथा विद्यार्थियों के लिये अनुशासन संहिता निश्चित करना, तथा
- (34) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय की समस्त एवं किन्हीं शक्तियों के प्रयोग हेतु आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो या विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या प्रेरक हो।
- 8. विश्वविद्यालय समस्त वर्गों, जातियों एवं धर्मों के लिए खुला है.—(1) विश्वविद्यालय सभी धर्म, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए बिना लिंग भेद के खुला होगा तथा यह विश्वविद्यालय के लिए विधि सम्मत नहीं होगा कि वह विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करते समय या उसमें कोई अन्य पद धारण करते समय या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के लिए इस आधार पर मना नहीं करेगा चाहे उसका कोई भी धार्मिक विश्वास हो, व्यवसाय हो या राजनैतिक विचारधारा हो तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्हें नहीं रोकेगा।
- (2) इस धारा में कोई भी बात समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या महिलाओं के प्रवेश या नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान करने के लिए विश्वविद्यालय को रोकने से संबंधित नहीं समझी जाएगी, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के मामले में।
- 9. विश्वविद्यालय में शिक्षण.—(1) विश्वविद्यालय में डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों से संबंधित शिक्षण अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा;

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (2) ऐसे पाठ्यक्रमों के शिक्षण के आयोजन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित होगा।
- 10. विश्वविद्यालय का विजिटर.—(1) भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होगे।
- (2) विश्वविद्यालय तथा दिल्ली में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय के बीच उत्पन्न कोई विवाद को विजिटर के पास भेजा जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाघ्य होगा।
- 11. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.—(1) दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे;
- (2) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, डिग्री प्रदान करते समय विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे;
- (3) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जैसा वह निदेश दे विश्वविद्यालय की महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय, कॉलेज इसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा, शिक्षण एवं किए जाने वाले अन्य कार्यों की जांच करवाने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित मामलों में उसी पद्धति से जाँच करवाने का अधिकार होगा;
- (4) कुलाधिपित प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को जाँच पड़ताल करवाने की सूचना देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपित को ऐसा प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा जैसा वह सूचना में यथाविनिर्दिष्ट अविध के अन्दर उचित समझे;
- (5) प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति उप-धारा (3) में यथा उल्लिखित जाँच एवं निरीक्षण करवा सकता है;
- (6) जहाँ कुलाधिपित द्वारा कोई निरीक्षण या जाँच करवाई जानी है, वहां विश्वविद्यालय को किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उपस्थित होने तथा ऐसी जाँच एवं निरीक्षण में सुनवाई का अधिकार होगा;
- (7) कुलाधिपित उप-धारा (3) में यथा उल्लिखित ऐसी जाँच या निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में कुलाधिपित को सूचित कर सकता है तथा कुलाधिपित प्रबंधन बोर्ड को कुलाधिपित के विचारों सिहत ऐसी सलाह पर जैसा कुलाधिपित उस पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए अपेक्षित समझे, भेजेगा;
- (8) प्रबंधन बोर्ड कुलपित के माध्यम से कुलाधिपित को ऐसी कार्रवाई से सूचित करेगा जो कि ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर की जानी प्रस्तावित हो या की गई हो;
- (9) जहाँ प्रबंधन बोर्ड पर्याप्त समय में कुलाधिपित की संतुष्टि के लिए कार्रवाई नहीं करता, वहां चान्सलर जैसा उचित समझे निदेश जारी कर सकता है तथा प्रबंधन बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा;
- (10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम, संविधि अथवा अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है।

शर्त यह है कि कोई ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से पूछ सकेंगे कि ऐसा आदेश न करने के कारण क्यों नहीं बताया जाना चाहिये और दर्शाये गये कारण पर विचार किया जायेगा । यदि इसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त होता है ।

- (11) कुलाधिपति के पास यथानिर्धारित ऐसी अन्य शक्ति होगी।
- 12. विश्वविद्यालय के अधिकारीगण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—
 - (1) कुलपति;
 - (2) सम-कुलपति;
 - (3) डीन;
 - (4) कुल सचिव;
 - (5) वित्त नियंत्रक और;
 - (6) संविधि द्वारा घोषित किये जाने वाले ऐसे अन्य अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।
- 13. विश्वविद्यालय के कुलपति.—(1) कुलपति एक प्रतिष्ठित विद्वान होगा जिसके पास अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की किसी शिक्षण संस्था का प्रशासनिक अनुभव होगा।
 - (2) कुलपित कुलाधिपित द्वारा ऐसी पद्धित में, ऐसी अविध के लिए और ऐसी अविध के लिए और ऐसी परिलब्धियों पर तथा यथानिर्धारित अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (3) कुलपित विश्वविद्यालय के मुख्य शैक्षणिक एवं कार्यपालक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के कृत्यों की देखरेख एवं नियंत्रण करेंगे ओर विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को लागू करेंगे:

शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है वह ऐसी समिति के एक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जायेगा।

(4) कुलपित का, यदि उनका यह अभिमत है कि किसी विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई होनी है, तो वह इस अधिनियम द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना ऐसे प्राधिकरण को देंगे:

किन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण/प्राधिकारी का अभिमत है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये तो वह विषय को कुलाधिपति को भेज सकता है जिसका इस पर निर्णय अंतिम होगा:

आगे शर्त यह है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई असंतुष्ट विश्वृविद्यालय सेवा के

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54 किसी कर्मचारी को उसे सूचित ऐसे कार्रवाई की तिथि से नब्बे दिन के भीतर बोर्ड के प्रबंधक को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा तथा इस पर प्रबंध बोर्ड, कुलपित द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि को आशोधित या उलट सकते हैं।

- 5) कुलपित संविधि एवं अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- 14. विश्वविद्यालय के सम-कुलपित.—प्रत्येक सम-कुलपित ऐसी पद्धित, ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा।
- 15. डीन.—प्रत्येक डीन की नियुक्ति यथानिर्धारित पद्धति से की जायेगी और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसर कार्यों का निवर्हन करेंगे।
- 16. कुल सचिव.—(1) प्रत्येक कुल सचिव ऐसी पद्धति, ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा।
 - (2) प्रबंध बोर्ड द्वारा सशक्त किसी पंजीयक के पास विश्वविद्यालय की और से समझौते करने तथा हस्ताक्षर करने एवं अभिलेख को प्रमाणित करने का अधिकार होगा।
- 17. वित्त नियंत्रक की शिवत.—वित्त नियंत्रक की ऐसी पद्धित से, ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्ति की जायेगी और यथा निर्धारित ऐसी शिवत का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कार्यों का निवर्हन करेंगे।
- 18. अन्य अधिकारीगण.—विश्वविद्यालय के अन्य अधि कारियों की नियुक्ति पद्धति, परिलब्धियों, शक्तियाँ और कार्य यथानिध रित होंगे।
- 19. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :—
 - (1) परिषद्;
 - (2) प्रबंध बोर्ड;
 - ़(3) शैक्षिक परिषद्;
 - (4) योजना बोर्ड;
 - (5) वित्त समिति; तथा
 - (6) संविधियों द्वारा घोषित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे।
- 20. परिषद्.—(1) विश्वविद्यालय के परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—
 - (क) कुलाधिपति;

- (ख) कुलपति;
- (ग) सरकार द्वारा नामित मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के विषयों के पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति;
- (घ) प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार—पदेन;
- (ङ) प्रधान सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) दिल्ली सरकार—पदेन;
- (च) प्रधान सचिव या सचिव (तकनीकी शिक्षा) दिल्ली सरकार—पदेन;
- (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;
- (ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के अन्तर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि;
- (झ) विश्वविद्यालय के कुल सचिव।
- (i) पदेन सदस्यों के अलावा परिषद् के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा;
 - (ii) जहां पर कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति के आधार पर परिषद् का कोई सदस्य बन गया है जब उसका पद या नियुक्ति समाप्त हो जाता/जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।
 - (iii) परिषद् का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं बना रहेगा यदि वह त्याग-पत्र देता है या विक्षिप्त मस्तिष्क विकार से ग्रस्त हो जाता है, या दिवालिया हो जाता या नैतिक दुराचरण से जुड़े किसी फौजदारी अपराध के लिये सिद्ध-दोष हो जाता है । कुलपित के अलावा किसी सदस्य की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य के रूप में न रहने पर कुलाधिपित की अनुमित लिये बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है ।
 - (iv) परिषद् के किसी पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से तयाग पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र, उसके द्वारा स्वीकार होते ही प्रभावी हो जायेगा।
 - (v) परिषद् की कोई भी रिक्ति संबद्ध नामांकन करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामांकन से भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर; ऐसा नामांकन प्रभावी होने के लिये समाप्त होगा।
- 21. परिषद् की शिक्तयां, कर्तव्य और बैठकें.—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कर्यक्रमों की समीक्षा करेगा तथा विश्वद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय सुझायेगा, परिषद् के निम्नलिखित अन्य शिक्तयां और कार्य भी होंगे;/अर्थात् :

पर्णापत राज के का नियंत्रक (वाणिज्य) सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखों तथा ऐसे लेखा पर इसके लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करके संकल्प पारित करना;
- (ख) जो विषय उसके पास परामर्श हेतु भेजा जा सकेगा उस विषय पर चांसलर को परामर्श देना;
- (ग) यथानिर्धारित ऐसे अन्य कर्तव्यों को निवर्हन ।
 - (2) (i) परिषद् की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी।
 परिषद् की वार्षिक बैठक तब तक प्रबंध बोर्ड द्वारा
 नियत की जाने वाली तिथि को होगी जब तक किसी
 वर्ष के संबंध में परिषद् द्वारा कोई अन्य तिथि न
 निश्चित की गई हो तथा जब कुलाधिपित उपस्थित
 हो तब परिषद् की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपित
 द्वारा की जायेगी;
 - (ii) परिषद् की वार्षिक बैठक में परिषद् को कुलपित द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सहित आय तथा व्यय का विवरण, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किये जायेंगे ।
 - (i) परिषद् की बैठक कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा स्वयं बुलाई जायेगी या परिषद् के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जायेगी;
 - (ii) परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिये सामान्यत: कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस होगा;
 - (iii) परिषद् की सूची में वर्तमान सदस्य के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी;
 - (iv) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी विषय पर परिषद् द्वारा ज्ञात किये जाने वाले बराबर-बराबर मत हो तो इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का निर्णायक मत होगा;
 - (v) यदि सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुमत का मत बना रहेगा; और
 - (vi) यदि परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है, तो कुलपित परिषद् के सदस्यों के बीच कागजात परिचालित करके कार्य संचालन की अनुमित दे सकतें हैं। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक परिषद् के बहुमत द्वारा सहमित न दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित की जायेगी। यदि संबद्ध प्राधिकरण विषय पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो मामला कुलाधिपित को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 22. प्रबंधन बोर्ड.—(1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा और इस प्रकार इस अधिनियम तथा इसके

अन्तर्गत बनाई गई संविधि के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के संचालन के लिये सभी आवश्यक शक्तियां होंगी, तथा इस प्रयोजन के लिये अध्यादेशों तथा विनियम बना सकता है तथा इसके नीचे उल्लिखित विषयों के संबंध में भी नियम बना सकता है।

- (2) प्रबंधन बोर्ड के निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :
- (क) विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (ख) सरकार द्वारा नामित इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन
 विज्ञान के विषयों के तीन सुविख्यात व्यक्ति;
- (ग) सरकार द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर;
- (घ) सरकार द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय के दो डीन;
- (ङ) सरकार द्वारा नामांकित किसी उद्योग एसोसिएशन का प्रतिनिधि;
- (च) सरकार में प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) पदेन;
- (छ) सरकार में प्रधान सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा), पदेन;
- (ज) सरकार में प्रधान सचिव या सचिव (तकनीकी शिक्षा),पदेन;
- (झ) संविधियों द्वारा यथानिर्धारित ऐसा अन्य सदस्य या सदस्यगण।
- (3) जहां पर कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति के आधार पर प्रबंध बोर्ड का सदस्य बन गया है जब उसका पद या नियुक्ति समाप्त हो जाता/जाती हैं, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- (4) पदेन सदस्यों के अलवा प्रबंध बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।
- (5) प्रबंधन बोर्ड का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं बना रहेगा यि वह त्याग-पत्र देता है या विक्षिप्त/मस्तिष्क विकार से ग्रस्त हो जाता है, या दिवालिया हो जाता है या नैतिक दुराचरण से जुड़े किसी फौजदारी अपराध के लिये सिद्धदोष हो जाता है। किसी कुलपित या प्रोफेसर डीन के अलावा किसी सदस्य की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य के रूप में न रहने पर किसी कुलपित की अनुमित लिये बिना प्रबंध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है।
- (6) किसी पदेन सदस्य के अलावा प्रबंधन बोर्ड का कोई सदस्य किसी कुलपित को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र, उसके द्वारा स्वीकार होते ही प्रभावी हो जायेगा ।
- (7) प्रबंधन बोर्ड की कोई भी रिक्ति संबद्ध नामांकन करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामांकन से भरी जायेगी और रिक्ति की अविधि समाप्त होने पर ऐसा नामांकन प्रभावी होने के लिये समाप्त होगा।

भाषत हागा। श्राह्मा के नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- 23. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और बैठकें.—(1) प्रबंधन बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकरण होगा और इस प्रकार इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई संविधि के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यसंचालन के लिये आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और उस प्रयोजन के लिये और निम्नलिखित विषयों के संबंध में अध्यादेश तथा विनियम बना सकते हैं।
- (2) प्रबंधन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे,अर्थात् :—
 - (i) इस प्रयोजन के लिये गठित चयन सिमिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के कुल सिचव की नियुक्ति करना;
 - (ii) परिषद् की वार्षिक बैठक में उसका भाग लेना;
 - (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन में, और
 - (ख) वार्षिक लेखों में।
 - (iii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पतियां, कार्य संव्यवहार और सभी अन्य प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और इस प्रयोजन के लिये समितियां गठित करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों को या विश्वविद्यालय के लिये ऐसे अधिकारियों को शक्तियां सौंपना जैसा वह उचित समझें;
 - (iv) विश्वविद्यालय से संबंधित कोई पूंजी निवेश करना, जिनमें अनप्रयुक्त आय, ऐसे स्टाक में निधि, शेयर या प्रतिभूतियों सिहत या भारत में अचल सम्पित की खरीद में लगाना जैसा वह समय-समय पर उचित समझे जिन मामलों में सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, उन मामलों में सरकार की सहायता से अधिग्रहीत भूमि या निर्मित भवन को छोड़कर समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार से ऐसे निवेश की शिक्त सिहत;
 - (v) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, भेद करना, कार्यान्वयन करना तथा रद्द करना और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझता हो;
 - (vi) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर उपकरण तथा अन्य साधन जुटाना;
 - (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों के निवारण हेतु शिकायतें प्राप्त करना, यदि वह उचित समझता हो, तो उस पर निर्णय देना;
 - (viii) संस्थान में शैक्षणिक तथा अन्य पदों का सृजन तथा व्यक्तियों नियुक्ति करना और कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की वेतन संरचना तथा सेवा शर्तों निर्धारित करना;
 - (ix) शिक्षण, प्रशासनिक तथा लिपिकीय पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

2542 DG 09-3

- (x) परीक्षकों और मौडरेटरों की नियुक्ति करना और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो और शैक्षिक परिषद् की सलाह के उपरांत उनके शुल्क, परिलब्धियां, यात्रा तथा अन्य भत्ते निर्धारित करना;
- (xi) विश्वविद्यालय की एक कॉमन सील चुनना;
- (xii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और उसे अन्य कार्य का निवर्हन करना, जो इस अधिनियम द्वारा या अन्तर्गत यथा आवश्यक समझा गया है या दिया गया हो;
- (3) (क) प्रबंधन बोर्ड की तीन माह में कम से कम एक बैठक होगी और ऐसी बैठकों के लिये कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया जायेगा;
 - (ख) प्रबंधन बोर्ड की बैठक कुलपित के अनुदेशों के अनुसार या प्रबंध बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर कुल सचिव द्वारा बुलाई जायेगी;
- (ग) प्रबंध बोर्ड के एक तिहाई सदस्य किसी बैठक की गणपूर्ति के लिये होंगे;
- (घ) यदि सदस्यों के बीच मतभेद है, तो बहुमत का मत बना रहेगा;
- (ङ) प्रबंधन बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी विषय पर बराबर-बराबर मत हो, तो इसके अतिरिक्त प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, का एक निर्णयक मत होगा;
- (च) प्रबंधन बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपित द्वारा की जायेगी और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए एक सदस्य द्वारा की जायेगी;
- (छ) यदि प्रबंधन बोर्ड द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है तो कुलपित प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के बीच कागजात परिचालित करके कार्य संचालन की अनुमित दे सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक प्रबंध बोर्ड के बहुमत द्वारा सहमित न दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित की जायेगी। यदि संबद्ध प्राधिकरण विषय पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो मामला कुलाधिपित को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 24. शैक्षणिक परिषद्.—(1) शैक्षिक परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षिक निकाय होगा और इसका अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेशों, शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिये, नियंत्रण होगा, यह विनियमों को बनाने और उसके प्रति उत्तरदायी होगी और संविधि द्वारा उसे प्रदत्त या दी गई/दिये गये ऐसी अन्य शिक्तयों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कार्यों का निवर्हन करेगी।

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (2) शैक्षिक परिषद् को सभी शैक्षिक विषयों पर प्रबंध बोर्ड की सलाह देने का अधिकार होगा ।
 - (3) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :---
 - (क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;
 - (ख) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् या विद्वान या विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्रों से विरष्ठ उद्योगपितयों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, और सरकार द्वारा नामित हैं;
 - (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक मनोनीत व्यक्ति;
 - (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक मनोनीत सदस्य;
 - (ङ) उद्योग संस्थान का एक मनोनीत सदस्य;
 - (च) विश्वविद्यालय के समस्त डीन;
 - (छ) वरिष्ठता के अनुसार क्रमवार बारी-बारी से कुलपित द्वारा मनोनीत तीन प्रोफेसर;
 - (ज) स्कूलों/विभागों के सभी प्रमुख;
 - (झ) परीक्षा नियंत्रक;
 - शिक्षण स्टाफ के वो सदस्य जो कुलपित द्वारा नामित एसोसिएट तथा सहायक प्रोफेसरों का प्रतिनिधि करने वाले कर्मचारियों में से क्रमश: एक-एक सदस्य;
 - (ट) संविधियों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य सदस्य ।
- (4) पदेन सदस्यों को छोड़कर शैक्षिक परिषद् के सदस्यों की कार्याविध तीन वर्ष होगी।
- 25. शैक्षणिक परिषद् के अधिकार, प्रकार्य तथा बैठकें.—(1) इस अधिनियम संविधि, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन तथा प्रबंधन बोर्ड के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय के अकादिमक मामलों तथा अन्य मामलों, विशेषत: निम्नलिखित अधिकारों तथा प्रकार्यों का प्रबंधन करेगी, अथात् :—
 - (i) प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसे संदर्भित या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट देना;
 - (ii) विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण तथा देय परिलब्धियों तथा इससे संलग्न कर्त्तव्यों के विषय में प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना;
 - (iii) संकाय के संगठन के लिए स्कीमें तैयार करना तथा संशोधित या समीक्षा करने तथा इन संकायों का उनके संबद्ध विषय सौंपना तथा प्रबंधन बोर्ड को किसी संकाय की समाप्ति या उप-विभाजन या एक संकाय का दूसरे संकाय से संयोग करने की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट देना;
 - (iv) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से अलग अन्य व्यक्तियों की शिक्षा तथा परीक्षा की व्यवस्था की सिफारिश करना;
 - (v) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा इस अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट देना;
 - (vi) संकाय द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करना;

- (vii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीति तैयार करना;
- (viii) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के डिप्लोमा तथा डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना तथा विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा तथा डिग्रियों के संदर्भ में उनका समानता निर्धारित करना;
- (ix) बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी शर्त के अंतर्गत फैलोशिप, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों की प्रतियोगिता के समय, पद्धित तथा शर्तों को सुनिश्चित करना तथा इनके अवार्ड की सिफारिश करना;
- (x) परिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रबंध बोर्ड को सिफारिशें करना तथा यदि आवश्यक हो, उनको हटाने तथा उनके शुल्क, परिलब्धियों तथा यात्रा और अन्य खर्चों को सुनिश्चित करना;
- (xi) परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था करना तथा उन्हें आयोजित करने की तिथि की सिफारिश करना;
- (xii) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा तथा समीक्षा करना या इनके लिए समितियाँ या अधिकारी नियुक्त करना तथा उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, पद अथवा सम्मान चिह्न प्रदान या भेंट करने संबंधी सिफारिशें करना;
- (xiii) वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदकों अथवा पुरस्कारों की सिफारिश करना तथा विनियमों के अनुसार अन्य पुरस्कारों की सिफारिश करना तथा पुरस्कारों से संबंधित अन्य शर्तों की सिफारिश करना;
- (xiv) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या का अनुमोदन करना, पाठ्य पुस्तकों निर्धारित या संस्तुत पाठ्य पुस्तक सूची का अनुमोदन करना तथा इनका प्रकाशन करना;
- (xv) अध्यादेशों तथा विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अपेक्षित फार्मों तथा रिजस्टरों का अनुमोदन करना ;
- (xvi) विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने में अपनाए जाने वाले समय-समय पर वांछित शिक्षा के मानक तैयार करना ;
- (xvii) शैक्षणिक विषयों में संबंधित सभी कर्त्तव्यों का निर्वाह करना तथा इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों को समुचित रूप से लागू करने के लिए यथाआवश्यक कार्य ऐसे करना।
- (2)(i) शैक्षणिक परिषद् जब भी आवश्यक होगा अपनी बैठकें बुलाएगी परन्तु ये बैठकें एक शिक्षा वर्ष में तीन बार से कम नहीं होंगी;
 - (ii) शैक्षणिक परिषद् के वर्तमान एक तिहाई सदस्यों से शैक्षणिक परिषद् की बैठकों का कोरम बनेगा;
 - (iii) सदस्यों में मत विभिन्नता की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा ;
- (iv) शैक्षणिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य, जिनमें शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष भी शामिल है, एक मत का अधिकार होगा और यदि अकादिमक परिषद् द्वारा किसी प्रश्न के सुनिश्चयन में मतों की संख्या बराबूर रहतीं है तो शैक्षणिक परिषद् के

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा ;
- (v) शैक्षणिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपित द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुना सदस्य द्वारा की जायेगी;
- (vi) यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है तो शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों के दस्तावेजों के परिचालन द्वारा कार्य संपादन की अनुमित दे सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही पर जब तक शैक्षणिक परिषद् के बहुमत सदस्यों की सहमित नहीं होती प्रस्तावित कार्यवाई नहीं की जायेगी। इसके अनुसरण में की गई कार्रवाही से शैक्षणिक परिषद् के सभी सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो विषय को कुलाधिपित को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा;
- 26. योजना बोर्ड.—(1) विश्वविद्यालय के एक योजना बोर्ड का गठन किया जायेगा जो विश्वविद्यालय की प्रमुख नियोजन निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के विकास के अनुवीक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (2) योजना बोर्ड का गठन इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसके अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित रूप में होंगे ;
- 27. विभाग और विद्यालय.—(1) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में विद्यालय होंगे;
- (2) विभाग और विद्यालयों का गठन, अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित रूप में होंगे ।
- 28. वित्त समिति.—(1) प्रबंधन बोर्ड द्वारा गठित वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—
 - (क) कुलपति-अध्यक्ष
 - (ख) प्रधान सचिव या सचिव (तकनीकी शिक्षा), दिल्ली सरकार-पदेन
 - (ग) प्रधान सचिव व सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार-पदेन
 - (घ) सदस्यों में से प्रबंधन बोर्ड द्वारा मनोनीत दो अन्य सदस्यों जिनमें से एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहिए;
 - (ङ) विश्वविद्यालय के कुल सचिव;
 - (च) वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव होगा;
 - (छ) संविधियों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य सदस्य।
- (2) कुलपित के अलावा वित्त सिमिति के सदस्यों का कार्यकाल तब तक होगा जब तक वे प्रबंध मंडल के सदस्य होंगे।
 - (3) वित्त सिमिति के प्रकार्य एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-
 - (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जाँच तथा छानबीन करना तथा वित्तीय मामलों पर प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना ;
 - (ख) नए खर्चों के लिए प्रस्तावों पर विचार करना तथाप्रबंधन बोर्ड को इसकी सिफारिश करना ;

- (ग) ग्रेडों में संशोधन, वेतनमानों को उन्नत करना और उन मदों संबंधी सारे प्रस्ताव, जो बजट में शामिल नहीं है, प्रबंध मंडल द्वारा विचार किए जाने से पूर्व वित्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी;
- (घ) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों तथा वित्तीय अनुमानों पर विचार करना तथा अनुमोदन के लिए वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा इसके पश्चात् प्रबंध मंडल को प्रस्तुत करना ;
- (ङ) वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा निश्चित करेगी और इस प्रकार निश्चित सीमा से अधिक व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा खर्च नहीं किया जाएगा ;
- (च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर, अपनी तरफ से या प्रबंध बोर्ड द्वारा संदर्भित किए जाने या कुलपित द्वारा भेजे जाने पर, प्रबंधन बोर्ड को अपनी राय देना तथा सिफारिश करना ;
- (4) वित्त सिमिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी। किसी भी बैठक में वित्त सिमिति के तीन सदस्यों का कोरम होगा।
- (5) वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता कुलपित करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में बैठक में चयन किया गया सदस्य अध्यक्षता करेगा। सदस्यों में मत-विभिन्नता की स्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत का अभिमत सफल होगा।
- 29. अन्य प्राधिकरण.—संविधियों द्वारा घोषित विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित होंगे।
- 30. संविधि. इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संविधियों में निम्न सभी या किसी विषय पर उपबंध बनाए जा सकते हैं, अर्थात्:-
 - (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा समय-समय पर आवश्यक रूप से गठित की जाने वाली अन्य निकायों की संरचना, अधिकार तथा प्रकार्य;
 - (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की निकायों के सदस्यों का चयन तथा पद पर बने रहने, सदस्यों की रिक्ति को भरे जाने तथा इससे संबंधित अन्य सभी ऐसे विषय जिनके बारे में विश्वविद्यालय उपबंध बनाना आवश्यक या वांछनीय समझता है;
 - (ग) पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के रोजगार में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बने रहने की शर्ते ;
 - (घ) विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति
 तथा उनकी सेवा शर्ते, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य
 और सकल परिलब्धियां;
 - (ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति तथा उनकी परिलब्धियां : किन्नान क

सहायक नियत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (च) किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की किसी संयुक्त परियोजना में कार्य करने के लिये विनिर्दिष्ट अविध के लिए नियुक्ति करने की पद्धति, उनकी सेवा शर्तें तथा परिलब्धियाँ;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें ;
- (झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हित के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा किसी बीमा योजना की स्थापना करना ;
- (ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठताक्रम का नियंत्रण करने वाले सिद्धान्त ;
- (ट) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या किसी विद्यार्थी द्वारा अपील किए जाने की प्रक्रिया ;
- (ठ) मानद उपाधि प्रदान करना ;
- (ड) फैलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, विद्यार्थी वृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन प्रारंभ करना ;
- (ढ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना ;
- (ण) पीठों, विद्यापीठों तथा विभागों की स्थापना ;
- (त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित कालेजोंतथा संस्थानों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण ;
- (थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों या प्राधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;
- (द) ऐसे सभी विषय, जिन पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत संविधि द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।
- 31. संविधि प्रक्रिया.—(1) पहली संविधियों, इस अधिनियम के लागू होने से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा बनाई जाएगी।
- (2) प्रबंधन बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त संविधि बना सकता है या उप-धारा (1) में उल्लिखित संविधियों को संशोधित या निरस्त कर सकता है :—

उपबंध है कि प्रबंधन बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के पद, अधिकार या संरचना को प्रभावित करने वाली किसी संविधि की रचना, संशोधन या तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को अपना प्रस्तावित परिवर्तन पर अपनी लिखित राय बताने की पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तथा अभिव्यक्त राय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता;

(3) प्रत्येक नई संविधि या संविधि में परिवर्तन या इसमें संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन आवश्यक होगा जो इस पर अपनी सहमति दे सकता है, इसे रोक सकता है या उसके द्वारा दी गई टिप्पणी, यदि कोई है, को देखते हुए प्रबंधन बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है ;

(4) किसी नई संविधि या संविधि में संशोधन या वर्तमान संविधि का निरसन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कुलाधिपित द्वारा इस पर सहमति प्रदान नहीं की जाती जो इस विषय पर निर्णय लेते समय संबंधित विभाग के दृष्टिकोण पर विचार करेगा।

बशर्ते कि यदि कुलाधिपित प्राप्त संदर्भ के नब्बे दिनों के भीतर अपना निर्णय सूचित नहीं करता है, तो माना जाएगा कि कुलाधिपित ने प्रस्ताव पर अपनी सहमित प्रदान कर दी है।

- 32. अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम तथा संविधियों के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या कुछ विषयों के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है ; अर्थात् :-
- (क) विद्यार्थियों का प्रवेश, अध्यापन पाठयक्रम तथा उसका शुल्क, डिग्रियां डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान कराने संबंधी योग्यताएं तथा फैलोशिप तथा पुरस्कार तथा अन्य ऐसे सम्मान को प्रदान किए जाने की शर्ते;
- (ख) परीक्षाएं आयोजित करना, जिनमें पद की सेवा शर्ते शामिल हैं तथा परीक्षकों की नियुक्तियाँ ;
- (ग) विद्यार्थियों के आवास एवं उनके सामान्य अनुशासन की स्थिति ;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों एवं संस्थानों का प्रबन्धन ;
- (ङ) कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय अथवा विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के बीच विवादों के निपटान की पद्धति ;
- (च) कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवादों के निपटान की पद्धति ;
- (छ) किसी खिन्न कर्मचारी या किसी विद्यार्थी द्वारा किसी अपील की पद्धति ;
- (ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का रखरखाव ;
- (झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं कार्यों का विनियमन तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण का विनियमन ;
- (ञ) कदाचार की श्रेणियों जिसके लिए इस अधिनियम या संविधियों अथवा अध्यादेशों के अधीन कार्रवाई की जाए;
- (ट) कोई अन्य मामले, जो इस अधिनियम या संविधियों के अधीन या उसके द्वारा है अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए गए हो या किए जाएं;
- (2) सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपित द्वारा प्रथम अध्यादेश तैयार किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार किया गया अध्यादेश यथानिर्धारित पद्धति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किया जा सकता है।

- 33. विनियम.—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा उनके द्वारा नियुक्त समिति हो लेकिन इस अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित नहीं है, इस अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों के अनुरूप अपने कार्य व्यवहार के निष्पादन हेतु संविधियों द्वारा यथानिर्धारित पद्धित से विनियम बना। सकते हैं।
- 34. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उपाय तथा अन्य मामले सम्मिलित होंगे;
- (2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट शैक्षणिक वर्ष से 6 माह के अन्दर कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी;
- (3) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे दिल्ली की विधान सभा में यथाशीघ्र प्रस्तुत कराएगी।
- 35. वार्षिक लेखे.—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र प्रबंधन बोर्ड के निदेशों के अन्तर्गत तैयार किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम पन्द्रह महीनों के अन्तराल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या इस संबंध में यथाप्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी;
- (2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखों की प्रति कुलाधिपति तथा परिषद् को प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, तो भेजी जाएगी;
- (3) वार्षिक लेखों पर परिषद् द्वारा की गई कोई टिप्पणी प्रबंधन बोर्ड की सूचना में लाई जाएगी तथा इन टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट समयाविध में परिषद् एवं कुलाधिपित की सूचना में लाई जाएगी;
- (4) कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो कि उसे यथाशीघ्र दिल्ली की विधान सभा में प्रस्तुत कराएगी।
- 36. कर्मचारियों की सेवा शर्तें.—विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की नियमित आधार पर या अन्यथा सेवा संविदा का लिखित करार करेगा तथा संविदा की शर्तें इस अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों के उपबंधों असंगत नहीं होंगे;
- (2) उप-धारा (1) में उल्लिखित संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी प्रस्तुत की जाएगी।
- 37. न्यायाधिकरण मध्यस्थता.—(1) विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के बीच धारा 36 में उल्लिखित रोजगार संविदा से उत्पन्न या धारा 4 के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों के बीच उत्पन्न कोई विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जिसमें प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा मनोनीत निर्णायक (अम्पायर) सम्मिलित होंगे ;
- (2) ऐसा प्रत्येक संदर्भ तत्समय प्रवृत्त मध्यस्थता विधि के अर्थ में इस धारा की शर्तों पर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया समझा जायेगा तथा उस विधि के समस्त उपबंध उसकी धारा 2 के अपवाद सहित तद्नुसार लागू होंगे ;

2542 DG/09-4

- (3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कार्य को विनियमित करने की पद्धति यथानिर्धारित होगी ;
- (4) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित किसी मामले के संबंध में परिषद् में किसी भी प्रकार का वाद नहीं होगा।
- 38. प्रोविडेंट तथा पेंशन निधि.—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसे प्रोविडेंट फण्ड या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था करेगा जैसा वह यथा-निर्धारित शर्तों एवं पद्धित के अनुसार उचित समझे । दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्तमान शिक्षकों तथा स्टाफ की सेवाओं के लिये प्रचलित भविष्य निधि एवं पेंशन संबंधी योजनाएं लागू होंगी ।
- 39. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों एवं निकायों के गठन के बारे में विवाद.—यदि भली-भांति चुने गये या नियुक्त किये गये या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय में सदस्य के रूप में चुने जाने या नियुक्त किये जाने से संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उस स्थिति में मामला कुलाधिपति के पास भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 40. आकस्मिक रिक्तियों को भरना.—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय के सदस्यों के बीच समस्त आकस्मिक रिक्तियां (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) जब भी सुविधाजनक हो उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव करता है जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है तथा कोई व्यक्ति नियुक्त, चुना गया हो या आकस्मिक रिक्ति के लिये सहभागी बना हो, उस शेष अविध के लिये ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसका चुनाव हुआ है, सदस्य के रूप में होगा।
- 41. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही जो रिक्तियों द्वारा अमान्य नहीं है.—िकसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य नहीं होगी कि उनके सदस्यों के बीच रिक्ति थी या रिक्तियां थीं।
- 42. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही.—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी परिषद् में विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश अथवा निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के लिए नहीं होगा/होगी जोकि इस अधिनियम या संविधि या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किया गया हो या ऐसा करने का कोई आशय हो।
- 43. विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण की पद्धति.—
 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी प्राप्ति,
 आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्पों की प्रति या विश्वविद्यालय
 के पास रखे गये अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा भली-भांति
 बताए किसी रिजस्टर में किसी प्रकार की प्रविष्टि की प्रति यदि इस
 प्रकार निर्दिष्ट कुल सचिव द्वारा प्रमाणित की गई हो, भारतीय साक्ष्य
 अधिनयम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में
 निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए उसमें विनिर्दिष्ट मामले तथा

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54 कार्य व्यवहार को साक्ष्य के रूप में समझा जायेगा जहां उसकी मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की गई हो, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो ।

44. कठिनाई दूर करने की शक्ति.—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, इन कठिनाइयों को दूर करने में आवश्यक या समयोचित प्रतीत होते हों:

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसे आदेश नहीं बनाए जाएंगे।

- 45. कार्य संचालन उपबंध.—इस अधिनियम में तथा संविधियों में किसी बात के अन्यथा होते हुए,—
 - (क) प्रथम कुलपित तथा प्रथम कुल सचिव तथा वित्त नियंत्रक कुलाधिपित द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा वे संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार अधिशासित किये जायेंगे;
 - (ख) प्रथम परिषद् तथा प्रथम प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपित द्वारा मनोनीत किये जायेंगे एवं तीन वर्षों तक अपने पदों पर बने रहेंगे।
- 46. सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने तथा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये संविधि तथा अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली विधान सभा के सत्र के तीस दिनों के अन्दर, चाहे वह एक, दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अविध के अंतर्गत यदि सदन किसी संविधि या अध्यादेश में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि संविधि तथा अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो संविधि या अध्यादेश संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथािप ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त संविधि तथा अध्यादेश के अंतर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 47. मानद डिग्री.—यदि शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्य यह संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद डिग्री या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाये जो कि उनके विचार से अत्यधिक ख्यातिप्राप्त तथा उत्कृष्ट स्थिति वाला है, योग्य तथा ऐसी डिग्री या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के योग्य है, कुलाधिपित आदेश द्वारा यह निर्णय ले सकता है कि संस्तुति किये गये व्यक्ति को यह प्रदान की जाये।
- 48. डिग्री या डिप्लोमा वापस लेना.—(1) प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् की सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई विशिष्टता, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को परिषद् के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा जोकि उपस्थित परिषद् सदस्यों तथा बैठक के समय मतदान में उपस्थित हों, वापस ले

- सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के लिये परिषद् द्वारा सिद्ध दोषी माना गया हो जो कि परिषद् के विचार से कदाचार में लिप्त हो या यदि वह गंभीर दुराचरण का दोषी पाया गया है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई एवं कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
- (3) प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जायेगी ।
- (4) प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णयों से खिन्न कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।
 - (5) ऐसी अपील में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- 49. अनुशासन.—(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अंतिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस संबंध में उसके निदेश विभागाध्यक्षों, होस्टलों एवं संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे।
- (2) उप-धारा (1) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा से रोकने की सजा या विश्वविद्यालय अथवा होस्टल या संस्था से निकाले जाने की सजा कुलपित की रिपोर्ट पर होगी तथा उस पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा एवं सजा दी जायेगी:

उपबंध है कि ऐसी सजा विद्यार्थी को कारण बताने का उचित अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी जिसके लिये उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही की जानी है।

- 50. नियुक्तियों की मान्य वैद्यता.—िकसी अन्य कानून या तत्समय प्रचलित विधि के प्रवृत रखने वाले दस्तावेज में कुछ भी रहते हुए, विश्वविद्यालय में संविधियों तथा विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी और कानून के अनुसार होंगी।
- 51. अभिभावी प्रभाव.—इस अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियमों, संविधियों एवं विनियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, किसी अन्य विधि या दस्तावेज में निहित किसी बात के असंगत होते हुए प्रभावी नहीं होंगे।
- 52. प्रायोजित योजनाएँ.—जब भी विश्वविद्यालय सरकार से निधि प्राप्त करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली योजनाओं का समर्थन करने वाली अन्य एजेंसियां इस अधिनियम या विनियमों में किसी बात के अन्यथा रहते हुये :—
 - (क) प्राप्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से अलग रखी जायेगी तथा केवल योजना के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जायेगी, तथा
 - (ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित स्टाफ समर्थित संगठन द्वारा निबंधित शर्तों के अनुसार भर्ती किया जायेगा।"

सिवता राव, संयुक्त सिवव राजापान १०-॥-। न सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाईन्स, विल्ली-54

No. F. 14(12)/LA-2009/LI/09/LCLAW/173-182.— The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor on the 8th July, 2009 and is hereby published for general information:—

"The Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 1st July, 2009).

[8th July, 2009]

An Act to provide for the reconstitution of the Delhi College of Engineering as a Delhi Technological University and to incorporate it as a non-affiliating, teaching and research University at Delhi to facilitate and promote studies, research, technology incubation, product innovation and extension work in Science, Technology and Management Education, and also to achieve excellence in higher technical education and other matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the Delhi College of Engineering is an institution of the Government of National Capital Territory of Delhi affiliated to the University of Delhi;

And whereas, it is expedient to confer on the said institution the status of a University to enable it to function more efficiently, as a teaching and research center in various branches of learning and courses of study promoting advancement and dissemination of knowledge and learning, and to meet the requirement of higher education and research in the field of engineering and technology, applied sciences and management sciences, foster industry relevant research and innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act shall be called the Delhi Technological University Act, 2009.
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Academic Council," means the Academic Council of the University;
 - (b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;
 - (c) "Board of Management" means the Board of Management of the University;

- (d) "Campus" means the unit established or constituted by the University, for making arrangements for instruction, or research, or both;
- (e) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro Vice-Chancellor" means, respectively, the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University;
- (f) "College" means the institution established or maintained by the University.
- (g) "Court" means the Court of the University;
- (h) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (i) "Department" means a department of studies of the University;
- (j) "Employee" means any person appointed by the University;
- (k) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- "Government" means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;
- (m) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;
- (n) "Misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes;
- (o) "Notification" means a notification published in the official Gazette;
- (p) "Planning Board" means the Planning Board of the University;
- (q) "Prescribed" means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act;
- (r) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (s) "School" means a school of studies of the University;
- (t) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations", mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;
- (u) "University" means the Delhi Technological University as incorporated under this Act; and
- (v) "University teachers" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University, or in any college or institution maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes.

सहायके नियंत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिवल लाईन्स, दिल्ली-54

- 3. Incorporation of the University.—(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of "Delhi Technological University", comprising the Chancellor, the Vice-Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management, the Academic Council and Finance Committee of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.
- (2) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.
- (3) The University shall be engaged in teaching and research in emerging areas of higher education with focus on applied sciences, engineering, technology and management and shall promote inter-disciplinary education and research to achieve excellence in these and connected fields.
- 4. Effect of incorporation of University.—On and from the commencement of this Act,—
 - (a) any reference to the Delhi College of Engineering in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;
 - (b) all property, movable and immovable, of or belonging to the Delhi College of Engineering shall vest in the University;
 - (c) all the rights and liabilities of the Delhi College of Engineering shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the University; and
 - (d) every person employed by the Delhi College of Engineering immediately before such commencement shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the saine terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund, and other matters as he would have held the same if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or he has opted for the University's terms and conditions of employment;
 - (e) notwithstanding anything contained in this Act, existing students of the Delhi College of Engineering who joined classes before the establishment of the University under section 3 of this Act, shall continue to pursue their academic courses and programmes of study under the enrolment and affiliation of the University of Delhi, Delhi, which shall conduct examinations to them

- and award degrees to them upon successful completion of the courses and programmes of study they are pursuing thereat presently.
- 5. Jurisdiction.— Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be those of the National Capital Territory of Delhi.
- 6. Objects of the University.—The objects of the University shall be,—
 - (a) to evolve and import comprehensive higher education with focus on applied science, engineering, technology, management and allied areas;
 - (b) to facilitate and promote studies leading to award of degrees, diplomas and certificates;
 - (c) to organize advanced studies and promote research, with a focus on basic and applied sciences, engineering, technology and management;
 - (d) to achieve excellence in science, engineering, technology, management and allied areas and matters connected therewith or incidental, thereto;
 - (e) to be a change-agent that shall contribute to enable Science and Technology and related areas of industry to develop state of the art products and services;
 - (f) to be industry relevant and to create an impact on the academic community in India and abroad;
 - (g) to be an open institution to attract the best minds of the world and, to, be completely globally integrated;
 - (h) to set up innovation foundations, science and 'technology parks, knowledge parks and technology incubators to foster technoentrepreneurship, innovation and new product development;
 - (i) to disseminate knowledge and processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;
 - (g) to promote and foster cultural and ethical values with a view to promote and foster professional morality, research integrity, globally acceptable business ethics and morals for professionals;
 - (k) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;
 - (l) to publish periodicals, treatises, studies, books, reports, journals and other literatures on subjects relating to science, engineering, technology and management;

काटकारित क्रिन्। नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (m) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions;
- (n) to undertake, study and training projects relating to science, engineering, technology and management;
- (o) to do all such things as are incidental, necessary of conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.
- 7. Powers of the University.—The University shall have the following powers, namely:—
- to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
- (2) to grant, subject to such, conditions as the University may determine, diplomas and certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing, on persons;
- (3) to confer honorary degrees or other distinctions;
- (4) to organize and to undertake extra-mural studies and extension services;
- (5) to create and institute professorships, associate professorships, assistant professorships and other teaching and academic positions required by the University and to appoint persons to such and other academic and research positions;
- (6) to recognize persons as professors, associate professors or assistant professors and others as teachers of the University;
- (7) to provide for the terms and conditions of service of teachers and other members of the academic or administrative staff appointed by the University;
- (8) to appoint persons working in any other university or organization as teachers of the University for a specified period;
- (9) to create administrative, ministerial and other posts in the University and to make appointments thereto;
- (10) to co-operate or collaborate or associate with any other university, authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine and with the prior approval of the Government in case of a Foreign University;
- (11) to enable the co-operation, collaboration or association of persons working in any other institution, with persons working in the University, for imparting instruction or supervising research, or both;

2542 DG/09-5

- (12) to build up a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- (13) to establish, maintain colleges, campuses and such other centers of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University;
- (14) to set up central facilities like computer centre, instrumentation centre, central workshop, central library, auditorium etc.;
- (15) to set up curriculum development cells for different subjects;
- (16) to make provision for research and advisory services and, for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (17) to determine standards for admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of selection;
- (18) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (19) to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges;
- (20) to supervise the residence of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (21) to make such special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (22) to regulate the conduct of the students of the University;
- (23) to regulate the work and conduct of the employees of the University;
- (24) to regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;
- (25) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (26) to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name after them such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;
- to create a corpus fund for the University and transfer, in full or part, donations received from alumni, industries and other national and international foundations, organizations as may be approved by the Board of Management of the University and to decide the modalities for the utilization of such a corpus fund;

सहायक नियेत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (28) to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University except for the land acquired or building constructed with the assistance of the Government, in which case prior approval of the Government shall be required;
- (29) to borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the University, moneys for the purposes of the University;
- (30) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs;
- (31) to initiate measures to enlist the cooperation of the industry and other expert agencies to provide complementary facilities;
- (32) to provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal or open learning stream to the formal stream and vice-versa;
- (33) to prescribe a code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and Code of Discipline for the students; and
- (34) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.
- 8. University open to all classes, castes, and creeds. (1) The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to, adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the University, or to graduate, thereat, or to enjoy or exercise any privilege thereof.
- (2) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the weaker sections of the society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
- 9. Teaching in the University.—(1) The teaching in connection with the degree, diploma and certificate programmes of the University shall be conducted in accordance with the Ordinances and Regulations.
- (2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Ordinances.
- 10. Visitor of the University.—(1) The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.

- (2) Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi, may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.
- 11. Chancellor of the University.—(1) The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees.
- (3) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he may direct, of the University, a college maintained by the University, its buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University.
- (4) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (5) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).
- (6) In case, an inspection or inquiry has been caused to be made, by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (7) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- (8) The Board of Management shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.
- (9) In case, the Board of Management does not, within a reasonable time; take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.
- (10) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

शहरी विकास मंत्रालय सिवल लाईन्स, दिल्ली-54

- (11) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.
- 12. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University:—
 - (1) the Vice-Chancellor;
 - the Pro-Vice-Chancellor;
 - (3 the Deans;
 - (4) the Registrars;
 - (5) the Controller of Finance; and
 - (6) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officer of the University.
- 13. Vice-Chancellor of the University.—(1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in one of the areas of applied sciences, engineering and management, having administrative experience in a Post Graduate Degree level institution of higher learning.
- (2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.
- (3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all authorities of the University.
- (4) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matter:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.
- 14. Pro-Vice-Chancellor of the University.—Every Pro-Vice-Chancellor shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- 15. The Deans.— Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

- 16. The Registrars.— (1) Every Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) A Registrar empowered by the Board of Management shall have the power to enter into, and sign agreements and authenticate records on behalf of the University.
- 17. The Controller of Finance.— The Controller of Finance shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
- 18. Other Officers.— The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.
- 19. Authorities of the University.— The following shall be the authorities of the University:—
 - (1) The Court;
 - (2) The Board of Management;
 - (3) The Academic Council;
 - (4) The Planning Board;
 - (5) The Finance Committee; and
 - (6) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
- 20. The Court.—(1) The Court of the University shall consist of the following persons:—
 - (a) Chancellor;
 - (b) Vice-Chancellor;
 - (c) Five eminent persons in the disciplines of basic and applied sciences, engineering, technology and management, nominated by the Government;
 - (d) Principal Secretary or Secretary (Finance) to Government ex-officio;
 - (e) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to Government ex-officio;
 - (f) Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to Government ex-officio;
 - (g) A representative of the University Grants Commission;
 - (h) A representative of All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).
 - (i) Registrar of the University.
 - (2) (i) The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be three years.
 - (ii) Where a person has become a member of the Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिवल लाईन्स, दिल्ली-54

- (iii) A member of the court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor, shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in the University; or if he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court without the leave of the Chancellor.
- (iv) A member of the Court other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.
- (v) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.
- 21. Powers, functions and meetings of the Court.—
 (1) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the improvement and development of the University, the Court shall also have the following other powers and functions, namely:—
 - to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;
 - (b) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;
 - (c) to perform such other functions as may be prescribed.
 - (2) (i) The Court shall meet at least once in a year. An annual meeting of the Court shall be held on the date to be fixed by the Board of Management, unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year and meeting of the Court shall be presided over by the chancellor when he is present;
 - (ii) The Annual Report of the University during the previous year, together with annual accounts, the balance sheet as audited, shall be presented by the Vice-Chancellor to the Court at its annual meeting.
 - (3) (i) Meeting of the Court shall be called by the Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than half the members of the Court;
 - (ii) For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given;

- (iii) One-third of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;
- (iv) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;
- In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail; and
- (vi) If urgent action by the Court becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Court. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Court. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Court. In case the authority concerned fails to take a decision the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.
- 22. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall be the principal executive body of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder, and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
- (2) The Board of Management shall consist of the following persons, namely:—
 - (a) The Vice-Chancellor of the University;
 - (b) Three eminent persons in the disciplines of science, engineering, technology and management, nominated by the Government;
 - (c) Two Professors of the University nominated by the Government;
 - (d) Two Deans of the University nominated by the Government;
 - (e) A representative of an Industry Association, nominated by the Government;
 - (f) Principal Secretary or Secretary (Finance) to the Government ex-officio;
 - (g) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to the Government ex-officio;
 - (h) Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to the Government ex-officio;
 - (i) such other member or members as may be prescribed by the Statutes.

प्राणित प्राणित प्रवासन विभाग सहायक नियनंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (3) Where a person has become a member of the Board of Management by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- (4) The term of office of the nominated members of the Board of Management other than ex-officio members shall be three years.
- (5) A member of the Board of Management shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than a Vice-Chancellor, Professor or Dean, shall also cease to be a member if he accepts a full time appointment in the University; or if he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Board of Management without the leave of the Vice-Chancellor.
- (6) A member of the Board of Management other than ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect, as soon as it has been accepted by him.
- (7) Any vacancy in the Board of Management shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.
- 23. Powers, functions and meetings of the Board of Management.—(1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder; and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
- (2) The Board of Management shall have the following powers and functions, namely:—
 - (i) to appoint the Registrar of the University on the recommendations of the Selection Committee constituted for that purpose;
 - (ii) to present to the Court at its annual meeting—
 - (a) annual report of the University; and
 - (b) annual accounts;
 - (iii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committee and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
 - (iv) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying

2542 DG/09-6

- such investments from time to time; except land acquired or building's constructed with the assistance of the Government, in which cases the prior approval of the Government shall be required;
- (v) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
- (vi) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (vii) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
- (viii) to create, institute and appoint persons to academic as well as other posts in the Institute and determine salary structure and terms and conditions of different cadres of employees;
- (ix) to appoint persons in teaching, administrative and ministerial posts;
- (x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (xi) to select a common seal for the University;
- (xii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.
- (3) (a) The Board of Management shall meet, at least, once in three months and not less than fifteen days' notice shall be given for such meetings.
- (b) The meetings of the Board of Management shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Board of Management.
- (c) One-third of the members of the Board of Management shall form the quorum at any meeting.
- (d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (e) Each member of the Board of Management shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board of Management, the Chairman of the Board of Management or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (f) Every meeting of the Board of Management shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members

भारत सरकार, प्रयासन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (g) If urgent action by the Board of Management becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board of Management. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board of Management. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board of Management. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.
- 24. The Academic Council.— (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (2) The Academic Council shall have the right to advise the Board of Management on all academic matters.
- (3) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:—
 - (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman;
 - (b) three persons from amongst educationists of repute or men of letters or eminent industrialists from disciplines of science, engineering and management, who are not in the service of the University, and nominated by the Government;
 - (c) a nominee of the University Grants Commission;
 - (d) a nominee of the All India Council of Technical Education;
 - (e) a nominee of the industry association;
 - (f) all Deans of the University;
 - (g) three Professors nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
 - (h) all Heads of the schools/departments;
 - (i) Controller of examinations;
 - (j) two members of the teaching staff, one each respectively representing the associate and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor;
 - (k) such other members as may be prescribed by the Statutes.
- (4) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.
- 25. Powers, functions and meetings of the Academic Council.— (1) Subject to the provisions of this Act,

Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the Academic affaris and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:—

- to report on any matter referred or delegated to it by the Board of Management;
- (ii) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
- (iii) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any Faculty or the combination of one faculty with another;
- (iv) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
- (v) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;
- (vi) to consider proposals submitted by the faculties;
- (vii) to lay down policies for admissions to the University;
- (viii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the Universities;
- (ix) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;
- (x) to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
- (xi) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
- (xii) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
- (xiii) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

मापान किन्न के किन्न किन्न के किन्न के किन्न कि

- (xiv) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;
- (xv) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the ordinances and regulations;
- (xvi) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
- (xvii) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the ordinances and regulations made thereunder.
 - (2) (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year.
 - (ii) One-third of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.
 - (iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
 - (iv) Each member of the Academic Council, including the Chairman of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council, or, as the case may be, the member presiding over that meeting, shall in addition, have a casting vote.
 - (v) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.
 - (vi) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.
- 26. The Planning Board.— (1) There shall be constituted a Planning Board of the University to be the principal planning body of the University and shall also be responsible for monitoring the development of the University.

- (2) The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
- 27. The Departments and the Schools.—(1) There shall be such number of Departments and Schools of studies and research as the University may determine from time to time.
- (2) The constitution, powers and functions of a Department and School shall be such as may be prescribed.
- 28. The Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee constituted by the Board of Management consisting of the following:—
 - (a) The Vice-Chancellor-Chairman;
 - (b) The Principal Secretary or Secretary (Finance) to Government ex-officio;
 - (c) The Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to Government ex-officio;
 - (d) Two other members nominated by the Board of Management from amongst its members, of whom at least one should not be an employee of the University;
 - (e) The Registrar of the University;
 - (f) Controller of Finance will be the member secretary;
 - (g) Such other members as may be prescribed by the Statutes;
- (2) The members of the Finance Committee other than the Vice-Chancellor, shall hold office so longs as they continue as members of the Board of Management.
- (3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:—
 - (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;
 - (b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;
 - (c) all proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;
 - (d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University, prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;
 - (e) the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the


सहायक नियत्रक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास मंत्रालय सिद्दिल लाईन्ल, दिल्ली-54

- year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;
- (f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management or the Vice-Chancellor.
- (4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year. Three members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.
- (5) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.
- 29. Other authorities.—The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.
- 30. Statutes.—Subject to the provision of this act, the statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
 - (b) the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating there to which the University may deem necessary or desirable to provide;
 - (c) terms and conditions for continuation of the teachers and other employees, in the employment of the erstwhile Delhi College of Engineering;
 - (d) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;
 - (e) the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff, and other employees and their emolument;
 - (f) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other University for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;

- (g) the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff appointed by the University;
- (h) the terms and conditions of other employees appointed by the University;
- (i) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of and insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
- (j) the principles governing the seniority of employees of the University;
- (k) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;
- (l) conferment of honorary degrees;
- (m) institution of fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and other incentives;
- (n) maintenance of discipline among the employees of the University;
- (o) establishment of chairs, schools of studies and departments;
- (p) management, supervision and inspection of colleges and institutions established and/or maintained by the University;
- (q) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;
- (r) all other matters which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the statutes.
- 31. Statutes how made.—(1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the commencement of this Act.
- (2) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.



(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter:


Provided that if the Chancellor does not convey his decision within ninety days of the reference received by him, it shall be deemed that the Chancellor has given his assent to the proposal.

- 32. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) the admission of students, the courses of study and the fees therefor, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like;
 - (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;
 - (c) the conditions of residence of students and their general discipline;
 - (d) the management of colleges and institutions maintained by the University;
 - (e) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;
 - the procedures for the settlement of disputes between the employees or students;
 - (g) the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;
 - (h) maintenance of discipline among the students of the University;
 - (i) regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;
 - the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;
 - (k) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.
- (2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed.
- 33. Regulations.—The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed

2542 D9 09-7

by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

- 34. Annual Report.—(1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.
- (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within six months from the date of completion of the academic year.
- (3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.
- 35. Annual Accounts.—(1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall, at least, once every year at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such person or persons as he may authorize in this behalf.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the chancellor and the Court along with the observations, if any, of the board of Management.
- (3) Any observation made by the Court on the annual account shall be brought to the notice of the Board of Management and the action taken on these observations shall be brought to the notice of the Court and the Chancellor within the time period specified by the Court.
- (4) A copy of the annual accounts together with the audit report as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.
- 36. Conditions of service of employees.—(1) The University shall enter into a written contract of service with every new employee of the University appointed, on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.
- 37. Tribunal of Arbitration.—(1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in Section 36 between the University and the employee or between the University and the employees of the erstwhile Delhi College of Engineering in terms of the provisions of Section 4, shall be referred to a tribunal of Arbitration which



shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.

- (2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning of the Law of Arbitration as in force, and all the provisions of that Law, with the exception of Section 2 thereof, shall apply accordingly.
- (3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of arbitration shall be such as may be prescribed.
- (4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and binding on the parties, and no suit shall lie in any court in respect of any matter decided by the Tribunal.
- 38. Provident and Pension Funds.—The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. As regards existing faculty and staff the provident and pension schemes prevailing to their services in the Delhi College of Engineering will be applicable.
- 39. Disputes as to the constitution of the University authorities and bodies.—If any question arises as to whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- 40. Filling of casual vacancies.—All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.
- 41. Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies.—No act or proceedings of any authority or other body shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.
- 42. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the University or against any authority, officer or employee of the University or against any person or body of persons acting under the order or direction of any authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances.
 - 43. Mode of proof of the University record.—A copy

of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designated shall, notwith-standing anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

44. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

- 45. Transitional provisions.—Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes—
 - (a) the first Vice-Chancellor, the first Registrars and the Controller of Finance shall be appointed by the Chancellor and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes;
 - (b) the first Court and the first Board of Management shall be nominated by the Chancelllor and shall hold office for a term of three years.
- 46. Statutes and Ordinances to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature.—(1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the Official Gazette.
- (2) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the Ordinance or the House agrees that the Statute or the Ordinance, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance, as the case may be.
- 47. Honorary degree.—If not less than two-third of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he/is, in their opinion, by

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग शहरी विकास संज्ञालय सिविल लाईन्स, विस्ती-54 reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Chancellor may, by an order, decide that the same may be conferred on the person recommended.

- 48. Withdrawal of degree or diploma.—(1) The Board of Management may, on the recommendation of the Academic Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board, involves moral tarpitude or if he has been guilty of gross misconduct.
- (2) No action under sub-section (1) shall be taken around any person unless he has been given an opportu-
- (3) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person
- (4) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chambellian within themy days from the date of receipt of such resolution.
- (5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.
- 49. Discipline.—(1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. The directions of the Vice-Chancellor in that behalf shall be carried out by the Heads of Departments, hostels and institutions.
- (2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the punishment of debarring a student from an examination or rustication from the University or an institution shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Board of Management:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

- 50. Deemed validity of appointments.—
 Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the Statutes and regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.
- 51. Overriding effect.—The provisions of this Act and the rules, Statutes and regulations made thereunder

shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other law or instrument having the force of law for the time being in force.

- 52. Sponsored Schemes.—Whenever the University receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act or the regulations—
 - (a) the amount received shall be kept by the University separately from the University Fund and utilized only for the purpose of the scheme; and
 - (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization."

SAVITA RAO, Jt. Secy.

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 10 जुलाई, 2009

सं. एफ. 37(1)/प्र./डी.एस.सी.एस.टी/पार्ट फाइल/ 2009/3120-39.—उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ. 37(1)/95-96/डी.एस.सी.एस.टी./4300 दिनांक 30-7-2007 में, माननीय उपराज्यपाल द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए, क्रमांक संख्या 7 पर अतिरिक्त सचिव (वित्त) के स्थान पर उप-सचिव (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को मनोनीत किया जाता है।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से तथा आदेश से वि. कृ. बहल, उप-निदेशक

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/ OBC/MINORITIES

CORRIGENDUM

Delhi, the 10th July, 2009

No. F. 37(1)/Admn/DSCST/Pt. F./2009/3120-39.— In partial modification of the Notification No. F. 37(1)/95-96/DSCST/4300, dated 30-7-2007, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to nominate Deputy Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi as a Director of the Delhi Schedule Castes/Tribes/OBC/Minorities and Physical Handicapped Finance & Development Corporation Limited, instead of Additional Secretary (Finance) appearing at Sr. No. 7.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, V. K. BAHL, Dy. Director

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सहायक नियत्रंक (वाणिज्य) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, प्रकाशन विभाग भारत तिकास गंजालय विवित्त सार्वन्य, दिल्ली-54